कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक–42/2020
आर.बी.ई. सं.– 83 / 2020
पत्र स ई / 9 / 9 / भाग–पाँच / चार दिनांक 01-10-2020

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना

विषय :– Payment of Night Duty Allowance (NDA) pursuant to the recommendations of 7th Central Pay Commission-reg

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(P&A)II-2017/HW-1 Dated 29-09-2020 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक / यथोपरि

01.10.20

(प्रदीप कुमार)
वकाधि / मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1) महामंत्री / एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर ।
2) महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर ।
3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर ।
4) महामंत्री / एस.सी. / एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक–42
आर.बी.ई. सं.– 83/2020
पत्र सं ई/9/9/भाग–पॉच/चार दिनांक 01-10-2020

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :– Payment of Night Duty Allowance (NDA) pursuant to the recommendations of 7th Central Pay Commission-reg.

.....

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(P&A)II-2017/HW-1 Dated 29-09-2020 की अग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(प्रदीप कुमार)
वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर ।

01.10.20
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VII/159
No.E(P&A)II-2017/HW-1

RBE No.83/2020
New Delhi, dated 29.09.2020

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units.

Sub:-Payment of Night Duty Allowance (NDA) pursuant to the recommendations of 7th Central Pay Commission-reg.

++++++

Please refer to Board's letter of even number dated 08.03.2018 (RBE No.36/2018) whereby the rates for revision of Night Duty Allowance (NDA) have been issued.

2. The matter has been reviewed based on the orders received from DoPT, the nodal Deptt.of Govt. on NDA. The President is pleased to decide that the hourly rate of NDA shall be equal to {Basic Pay + Dearness Allowance)/200} which would be admissible to eligible categories of non-gazetted Railway Servants classified under chapter XIV of the Railway Act, 1989 read with the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 for work put in during the period from 2200 hrs to 0600 hrs. The ceiling of basic pay for entitlement of Night Duty Allowance shall be ₹43600/- per month. The rate should be worked out separately for each employee. The present formulation of weightage of 10 minutes for every hour of duty performed between the hours of 22:00 and 06:00 would continue.

3. The grant of NDA shall be subject to furnishing of a certificate by the supervisor concerned that Night Duty is essential.

4. These instructions will be applicable w.e.f 01.07.2017.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)
Jt. Director, Estt.(P&A)
Railway Board

No.E(P&A)II-2017/HW-1

New Delhi, dated 29.09.2020

Copy forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance, Railway Board

CAOs/E-IV
Pl. Circulate